न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 22/2021 जिला भीलवाड़ा

1. हरलाल पुत्र गंगाराम कुमावत
2. ओंकार लाल पुत्र सोला जी प्रजापत
3. प्रभुलाल पुत्र प्यारचंद जी कुमावत
4. किशनलाल पुत्र रामचन्द्र जी कुमावत
5. लक्ष्मण दास पुत्र सीताराम दास वैष्णव
6. भेरूलाल पुत्र भंवरलाल वैष्णव
7. दिनेश पुत्र भंवरलाल वैष्णव
8. गणेश पुत्र सीताराम दास
9. रामलाल पुत्र रतनलाल कुमावत
10. गंगा देवी पत्नी श्री ईश्वरलाल कुमावत
11. रेवत पुत्र पन्ना कुमावत
12. माधुलाल पुत्र रामचन्द्र कुमावत
13. सुवालाल पुत्र जोरू कुमावत
14. शंकरलाल पुत्र नेनूराम कुमावत
15. दयाराम पुत्र जोरू कुमावत

निवासी ग्राम खूटिया खेड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

—अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भीलवाड़ा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

—रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय, भीलवाड़ा दिनांक 20.06.1998 आदेश कमांक एफ 12—03 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 26/2008 (अ)(2)आर0ए/98/आर—1536

उपस्थित अभिभाषकः—श्री ईश्वर देवड़ा(अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय　　　　दिनांकः—14.06.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खूटियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के खसरा संख्या 62बी (पुराना) रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 60बी(पुराना) रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 62 मीन पर ग्रामवासियों के मकान बाड़े बने हुए है। नल व बिजली कनेक्शन भी जारी हो रखे है। सन् 1975 में कुछ व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे भी जारी कि[illegible] थे। खसरा सख्या 62 मीन के नये नम्बर 120 रकबा 1.15 हे0 उक्त भू[illegible] खेड़ा की आबादी भूमि पर दर्ज कराने हेतु जिला कलक्टर भील[illegible] कार्यवाही [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:02 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 60 मीन से 16 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 62 मीन से 5 बीघ 11 बिस्वा भूमि दिनांक 20.06.1998 जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा सार्वजनिक राजकीय भवन हेतु

सैट अपार्ट करने का आदेश जारी किया। इस कार्यवाही के दौरान तहसीलदार रायपुर द्वारा भूमि को मौके पर पड़त होना एवं किसी का अतिक्रमण नहीं होना बताते हुए पत्रावली उपखण्ड अधिकारी गंगापुर को भेजी गई और जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा भी बिना कोई जांच किये अपीलाधीन आदेश जारी किया। अपीलांट को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उक्त भूमि पर अपीलांट मकान और बाड़े बनाकर काबिज है। जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 20.06.1998 से व्यथित होकर निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है–

1. विवादीत भूमि 62 मीन 5 बीघा 13 बिस्वा ग्राम पंचायत में दर्ज भूमि से चिपकी हुई भूमि है। इस मकान व बाड़े बने हुए है। उक्त भूमि पर ही ग्राम पंचायत द्वारा 1975 में कही लोगो को पट्टे जारी किये है। उक्त भूमि रिक्त भूमि की श्रेणी में नहीं आती है और ना ही इस भूमि का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सैट अपार्ट किये जा सकते है।

2. तहसीलदार द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17.05.2017 को जिला कलक्टर भीलवाड़ा को उक्त भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है।

3. ग्राम पंचायत को आबादी भूमि की आवश्यकता है। पट्टे जारी किये गये।

4. 1994 से पूर्व सार्वजनिक आराजियात पर हुए कब्जे को नियमित करने का भी प्रावधान है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.06.1998 को निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.1998 की कोई जानकारी नहीं थी। जब हटाने बाबत कोई कार्यवाही की गई तब जानकारी प्राप्त हुई , वकील से चर्चा की, नकल प्राप्त की और अपील प्रस्तुत की गई, देरी को क्षमा किया जाये। साथ में शपथ पत्र भी उनके द्वारा दिया गया। अपील मीमौ के अलावा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.1998 तहसीलदार के मौका रिपोर्ट दिनांक 04.06.1998 रिपोर्ट पटवारी सग्रेव , नक्शा ट्रेस संबंधित खसरा नम्बर, नामातंरण संख्या 139 ग्राम फूटिया , ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिनांक 17.05.2017, ग्रामवासियान द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायपुर को दिया गया पत्र दिनांक 19.05.2017, बाकी पट्टा आबादी क्षैत्र सग्रेव जोरू पिता चतुर्भुज जाति कुमावत को जारी पट्टा दिनांक 25.03.1976 , अन्य पट्टा ए0वी0वी0एन0एल का बिजली बिल लक्ष्मण दास एवं सीताराम वैष्णव मिलान क्षैत्रफल नामातंरण संख्या 155 ग्राम खूटिया खेड़ा, जमाबंदी ग्राम खूटिया खेड़ा संवत 2052–55 संवत 2063–66 प्रस्तुत किये।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमौ में बताई गई बातों का उल्लेख किया है तथा मुख्य रूप से यह बताया है कि सैट अपार्ट भूमि पर मकान बने हुए है। पट्टे पेश किये है। सन् 1963 के नियम का हवाला दिया है। उनके अनुसार भूमि अविवादित होनी चाहिए थी, रिक्त होनी चाहिए थी, अतिक्रमण नही होना चाहिए था। राजकीय अभि0 द्वारा बहस में बताया गया कि अपीलांट द्वारा 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपील बहुत देरी से प्रस्तुत की गई है व स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार थी। पट्टों में खसरा नम्बर अंकित नहीं है, [illegible]ली पर तहसीलदार की कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है। अपील खारिज की जायें।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा कब जानकारी हुई इस बारे में दिनांक का अंकन नहीं किया है। देरी से प्रस्तुत की हुई पायी गई है। मगर अपीलाधीन आदेश के समय भूमि पर काबिज व्यक्तियों को नहीं सुना गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:02 IST
Reason: SelfAttested

था। ऐसी स्थिति में यही माना जायेंगा कि अपीलांट को जानकारी नहीं थी तथा जब उन्हें हटाये जाने की कार्यवाही की गई तब उन्हें जानकारी हुई होगी। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 5 को स्वीकार किया जाकर है। देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट द्वारा धारा 96 का प्रार्थना पत्र नहीं लगाया गया यह सही है।

तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 04.06.1998 का अवलोकन किया गया। **इसके अनुसार खसरा नम्बर 60 मीन रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा में से 16 बिघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 62 मीन रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा किता 2 रकबा 22 बीघा 30 बिस्वा भूमि आगामी 50 वर्षों को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक राजकीय कार्यो हेतु भूमि सैट अपार्ट कराने हेतु पूर्व पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर भीलवाड़ा को मारफत उपखण्ड अधिकारी गंगापुर की सेवा में प्रेषित है।**

जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 20.06.1998 को एल0आर0एक्ट 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिलानाम खसरा नम्बर 60 मीन रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा में से 16 बीघा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 62 मीन में से रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि सार्वजनिक राजकीय भवनो हेतु ग्राम खूटिया खेड़ा में आरक्षित की गई। दिनांक खसरा से स्पष्ट है 62 मीन रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा से नया खसरा नम्बर 120 रकबा 1 हे0 12 बिस्वा बना है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17.05.2017 को नये खसरा नम्बर 120 क्षैत्रफल 1.12 हे0 भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बताया है। मगर इस भूमि पर आबादी बसी हुई होने के कारण भूमि को ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा के नाम दर्ज किया है। धारा 92 एल आर एक्ट का अवलोकन किया। जिसमें विशेष प्रयोजनार्थ भूमियों को सैट अपोर्ट करने हेतु जिला कलक्टर को सक्षम माना है। एक बार सैट अपोर्ट होने के बाद ऐसी भूमि कृषि भूमि नहीं रहेगी। वर्तमान प्रकरण मे भी जिला कलक्टर द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सही रूप से भूमि को सैट अपार्ट किया है। अपीलांट का यह कहना है कि 1975 में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किये गये थे, जबकि भूमि रिकोर्ड के अनुसार सिवायचक भूमि होकर पंचायत के अधीन नहीं थी। फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा किस आधार पर पट्टे काटें गये है यह जांच का विषय है। जिला कलक्टर महोदय द्वारा 62 मीन में 5 बीघा 13 बिस्वा की जगह 5 बीघा 11 बिस्वा का ही सैट अपार्ट किया गया है 2 बिस्वा भूमि शेष है। सैट अपार्ट भूमि के आदेश को संशोधित करने का अधिकार जिला कलक्टर को ही है। उनके द्वारा जारी आदेश में कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है। सिवायचक भूमियों पर यदि किसी का कब्जा भी हो तो ऐसी भूमियां सैट अपार्ट हेतु अनाधिवासित मानी जायेगी। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.1998 द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:41:02 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर